न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः— 49/2011/निगरानी

बालमुकुन्द उम्र 56 साल पुत्र श्री हरनारायण जाति कुमावत निवासी दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत दांतारामगढ जरिये सरपंच।
2. बनवारी लाल पुत्र गणेशलाल पुत्र शिवनारायण जाति जांगिड निवासी दांतारामगढ जिला सीकर राज0

गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध निर्णय स्थायी प्रशासन समिति पंचायत समिति दांतारामगढ प्रकरण बालमुकुन्द बनाम ग्राम पंचायत वगैरह प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 21.11.2002

वकील प्रार्थी श्री विजय सिंह तंवर

निर्णय दिनांकः—23.05.2018

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी/गैर निगरानीकर्ता के पिता गणेशलाल ने एक अपील संख्या 4/88 प्रशासन स्थाई समिति पंचायत समिति दांतारामगढ के समक्ष पेश की जिसका निर्णय पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा 27.12.89 को किया गया था, जिसकी निगरानी प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर के समक्ष पेश करने पर निगरानी संख्या 3/90 का निर्णय दिनांक 19.01.91 को किया गया, जिसमें प्रार्थी की रीविजन स्वीकार करते हुये प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति दांतारामगढ के आदेश दिनांक 27.12.89 को निरस्त करते हुए मामला पुनः निर्णय हेतु पंचायत समिति दांतारामगढ को रिमाण्ड किया गया। जिसकी अनुपालना में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण के समस्त पक्षकारों को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था, लेकिन स्थायी प्रशासन समिति, पंचायत समिति, दांतारामगढ द्वारा प्रार्थी को नोटिस दिए बिना ही अप्रार्थी के पिता गणेशलाल से मिलकर एकतरफा निर्णय दिनांक 21.11.2002 को पारित कर दिया। उक्त निर्णय की सूचना सर्वप्रथम प्रार्थी को दिनांक 21.03.2008 को हुई जब ग्राम पंचायत दांतारामगढ का एक नोटिस प्रार्थी को प्राप्त हुआ। इस पर प्रार्थी द्वारा पंचायत समिति में निर्णय दिनांक 21.11.02 की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 02.04.2008 को दी गयी, चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 21.11.2002 का है, जिसकी जानकारी की दिनांक 21.03.2008 हो हुई व जिसकी प्रमाणित नकल 02.04.2008 को प्राप्त हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं निर्णय निर्णय से पूर्व प्रार्थी को सम्मन तामिल कराये बिना निर्णय

Web Copy - Not Official

कीमत लेकर दिये जाने के पश्चात उस बाबत कोई भी निर्देश जारी करने का अधिकार प्रशासन स्थायी समिति पंचायत समिति दांतारामगढ को नही थे इसके बावजूद अधिनस्थ पंचायत समिति द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। पंचायत समिति दांतारामगढ द्वारा मौका कमिश्नर से मौका रिपोर्ट रेकार्ड पर लेने का कथन किया है, लेकिन ना तो मौका निरीक्षण हेतु कमिश्नर द्वारा ना तो प्रार्थी को नोटिस दिया गया तथा ना ही मौका प्रार्थी के समक्ष देखा गया। यदि कोई मौका कमिश्नर मौका देखने हेतु नियुक्त भी किया है तो उसने बिना नोटिस दिए व बिना मौका देखे रिपोर्ट पेश की है। अपीलांट गणेशलाल द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यात्मक मुद्दो के अलावा अन्य तथ्यों के उपर चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया गया है जो खारिज होन योग्य है। चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 21.11.2002 का है जिसकी जानकारी प्रार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 21.03.2008 को हुई, जब ग्राम पंचायत दांतारामगढ द्वारा एक नोटिस प्रार्थी को जारी किया गया जिस पर प्रार्थी द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय की नकल हेतु आवेदन दिनांक 31.03.2008 को पेश किया, जिसकी नकल दिनांक 02.04.2008 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी से रीविजन अवधि भीतर पेश है। अवधि क्षमा हेतु आवेदन पृथक से पेश है। अतः रीविजन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह रीविजन आवेदन स्वीकार किया जाकर चुनौतिग्रस्त निर्णय प्रस्ताव संख्या–1 दिनांक 21.11.2002 स्थायी प्रशासन समिति, पंचायत समिति दांतारामगढ का निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली अधिनस्थ पंचायत समिति को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि दोनो पक्षों को सुनवाई का मौका देकर मामले का पुनः निर्णय करें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 को जारी नोटिस पर विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की और से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार माथुर उपस्थित आये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया एवं वरवक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी को आवाज दिलाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी को बार–बार आवाज दिलवाने के बावजूद अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम आवेदन अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय स्थायी प्रशासन समिति पंचायत समिति दांतारामगढ द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 21.11.2002 को पारित किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि उक्त चुनौतिग्रस्त निर्णय की जानकारी हमे ग्राम पंचायत दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 21.03.2008 को नोटिस जारी करने पर हुई। चूंकि चुनौतिग्रस्त निर्णय से सम्बंधित अन्य पत्रावली में अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.01.1991 के द्वारा प्रकरण को पंचायत समिति दांतारामगढ़ के न्यायालय में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 19.01.1991 की पालना में न्यायालय स्थाई प्रशासन समिति पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा सदन के समक्ष प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 21.11.2002 को चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम पंचायत दांतारामगढ़ द्वारा प्रार्थी बालमुकुन्द को नोटिस क्रमांक SP-1 दिनांक 21.03.2008 को जारी किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि चुनौतिग्रस्त निर्णय से सम्बंधित विवादित भूमि के सम्बंध मे पूर्व से काफी समय से वाद विचाराधीन चल रहे थे। इस कारण प्रार्थी द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय के विरूद्व 6 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने के विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत दांतारांमगढ़ द्वारा प्रार्थी को जारी नोटिस क्रमांक SP-1 दिनांक 21.03.2008 का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस जारी करने के सम्बंध में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

'*Cause of action*' बताया गया है, जो कि अपने आप में पूर्ण/संतोषप्रद/विश्वसनीय साक्ष्य प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार विधिक प्रावधान की अनभिज्ञता विलम्ब क्षमा किये जाने का उचित आधार नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र में विलम्ब के युक्तियुक्त आधारों का खुलासा नहीं हाने के कारण विलम्ब क्षमा किये जाने का अनुदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी मियाद की समयावधी में नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/5/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official